24-5-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मीठालाल पुत्र कछुआजी व बदाराम पुत्र कछुआजी, जाति– कुम्हार, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–2 (मंगलसिंह पुत्र वागसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रामपुरा जरिये सरपंच अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पर बहस सुनी गई। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंससि/पंचायत/2023/79 दिनांक 23.5.2023 के साथ संलग्न प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.5.2023 का अवलोकन किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी मंगलसिंह द्वारा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर पूर्व में निर्मित मकान के स्थान पर ही नया निर्माण करवाया जा रहा है तथा इस भूखण्ड के पश्चिम व दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा व खिडकीया मौजूद नही है। इससे, यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी मंगलसिंह को निर्माण कार्य करने के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.2.2023 में अंकित शर्तो के अनुरुप ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थी मंगलसिंह को इस शर्त के अधीन निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाती है कि अप्रार्थी मंगनसिंह द्वारा ग्राम पंचायत, रामपुरा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.2.2023 में अंकित शर्तो के अनुरुप ही निर्माण कार्य करवाया जावे तथा इस भूखण्ड के पश्चिम दिशा व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी मंगलसिंह द्वारा दरवाजा या खिडकीयां नही खोली जावे। यदि अप्रार्थी मंगलसिंह उसके पट्टेशुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में खिडकीया व दरवाजा खोलना चाहता है तो नियमानुसार ग्राम पंचायत, रामपुरा से स्वीकृति प्राप्त करके ही खोल सकेगा। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार, प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.आर. खौड़)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested